श्री रामायण यादव, अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय :विधि कार्य विभाग
कमरा सं. 408-ए, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001

******

अपील सं 08/ अ.स.(आरवाई)/आईसी/आरटीआई/2015 **दिनांक 29/04/2016**

के मामले में :

श्री आशीष सिंह पटेल,
जिला कारागार
मिर्जापुर, उत्तरप्रदेश ..... अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग,
शास्त्री भवन, ... प्रत्यर्थी
नई दिल्ली -110001

आदेश

दिनांक 29/04/2016

श्री आशीष सिंह पटेल (यहां इसके पश्चात अपीलार्थी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अपने दिनांक 05/03/2016 के (इस विभाग में दिनांक 14/03/2016 को प्राप्त) आवेदन-पत्र के तहत इस मंत्रालय से निम्नलिखित सूचना मांगी थी:-

1 प्रार्थी अपने मुकदमे की जांच किसी अन्य एजेंसी जैसे सीबीसीआईडी, सीबीआई से करा सकता है। क्योंकि पहले मुकदमा धारा-398ए, 304बी, 314 डीपी एक्ट की धारा में लिखा गया था और बाद में न्यायालय में सभी गवाह पक्षद्रोही घोषित हो गये तो न्यायाधीश महोदय ने इस धारा को हटाकर 302 आईपीसी में तब्दील कर सजा दे दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी क्या करे।

2 जब न्यायालय में सारे गवाह पक्षद्रोही घोषित हो जाएं और मुकदमा वादी माननीय न्यायालय में कह दे कि मैंने कोई मुकदमा नहीं लिखवाया है, ये गलत लिखा गया है तो अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

3 प्रार्थी अपने मुकदमे के निर्णय के खिलाफ सफाई देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई रिट दाखिल कर सकता है।

4 प्रार्थी के साथ प्रार्थी का पूरा परिवार जेल में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पूरे केस की चर्चा एवं केस के बारे में जानने के लिए कोई सलाहकार प्रार्थी से जेल में सरकार की तरफ से हमें मिल सकता है।

5 प्रार्थी जानना चाहता है कि जब गवाह कोई नहीं, सब पक्षद्रोही घोषित हैं, तो फिर मुकदमा क्यों चलाया गया।

2. विधि कार्य विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (यहां इसके पश्चात प्रत्यर्थी) ने अपने दिनांक 18/03/2016 के उत्तर के तहत अपीलार्थी को यह सूचित किया था कि उनके द्वारा मांगी गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अधीन सूचना की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा केवल मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों को ही विधि के मामलों में सलाह प्रदान की जाती है। मैं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं प्रत्यर्थी के द्वारा दिए गए उत्तर का समर्थन कता हूं क्योंकि लोक सूचना अधिकारी ऐसी किसी सूचना को देने के लिए बाध्य नहीं है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अधीन दी गई सूचना की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है। अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना विधिक राय मांगने जैसी है और विधि मंत्रालय प्राइवेट व्यक्तियों को विधिक सलाह नहीं देता है। तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है।

3. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है/व्यथित है, तो वह 90 दिन के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकता है ।

(रामायण यादव)
अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री आशीष सिंह पटेल, जिला कारागार, मिर्जापुर, उत्तरप्रदेश
2. श्री के. गिनखनथंग, उप सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. अनुभाग अधिकारी, कार्यान्वयन कक्ष, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001